छत्तीसगढ़ में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि

चर्चा में क्यों?

14 अक्टूबर, 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज करते हुए 7 हज़ार 217 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है।

प्रमुख बिंदु

- इनमें राज्य को कोयला खनन से प्राप्त राजस्व वर्षवार 2019-20 में 2 हज़ार 337 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2 हज़ार 356 करोड़ रुपए तथा 2021-22 में 2 हज़ार 524 करोड़ रुपए है। यह उपलब्धि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज भंडारण नियम 2009 के कुशल क्रियान्वयन से हासिल हुई है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ खनिज भंडारण नियम, 2009 के तहत विशेष परिस्थिति में खनिज पट्टेधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को खनिज प्रेषण पूर्व ज़िला कार्यालय को प्रस्तावित खनिज की मात्रा, ग्रेड प्राप्तकर्त्ता इत्यादि विषयक जानकारी दिये जाने के प्रावधान हैं।
- प्रदेश में कोयला खदानों का संचालन एवं प्रेषण प्रमुख रूप से भारत सरकार के उपक्रम एसईसीएल द्वारा किया जाता है। एसईसीएल द्वारा विभिन्न स्कीम, यथा-लिंकेज, ई-ऑक्शन आदि के माध्यम से पावर एवं नॉनपावर श्रेणी के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला प्रदान किया जाता है।
- कोयले पर राज्य शासन को देय रॉयल्टी एसईसीएल द्वारा स्कीम अनुसार प्रदान किये जा रहे कोयले के बेसिक सेल प्राईस का 14 प्रतिशत होती है। स्कीमवाईज पावर एवं नॉन-पावर श्रेणी एवं ग्रेडवाईस कोयले के बेसिक सेल प्राईस में व्यापक अंतर होता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/revenue-from-coal-mining-progressively-increases-in-chhattisgarh